न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1512–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 438/अपील/2012–13

.....

कैलाश सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह
निवासी ग्राम बागपिपरिया तहसील बरेली,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–पनमेश्वर कुमार पुत्र श्री हल्के भैया
2–सुरेश कुमार पुत्र श्री हल्के भैया
3–प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार
4–रामकुमार पुत्र श्री कोमलसिंह
निवासीगण ग्राम अलीगंज तहसील बरेली
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

– – –

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे.के.मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत ग्राम अलीगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 102/2/3/2 एवं खसरा कमांक 120/3/1 रकवा 10.02 एकड़ का सीमांकन कराने

पर अनावेदकगण का अवैध कब्जा होने से उसे भूमि का कब्जा दिलाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षों को सुनकर आवेदक को कब्जा दिलाये जाने के दिनांक 12–4–12 को आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–2–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि अनावेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है, व उपस्थित के हस्ताक्षर भी विचारण न्यायालय के अभिलेख में है । इस बिन्दु पर ध्यान न देकर विलम्ब क्षमा करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षो में बिना आधार के हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उसे अंतिम आदेश पत्रिकाओं पर अनावेदकगण एवं उसके अधिवक्ताओं की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि इसके पूर्व की समस्त आदेश पत्रिकाओं में उभयपक्षों के हस्ताक्षर अंकित है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगणों को आदेश बाद में नोट कराया गया है, जिसके कारण विलम्ब के साथ आवेदन में कारण सहित अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अवधि विधान का आवेदन स्वीकार कर अपील समय

सीमा में मान्य की गई है, जो न्यायसंगत कार्यवाही है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेशिका में अनावेदकगण की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है, परन्तु उपस्थिति प्रमाण स्वरूप आदेशिका में आवेदकगण की ओर से किसी के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में यह मान्य किये जाने योग्य है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की जानकारी समय रहते आवेदकगण को नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–4–2012 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील 16–7–2012 को प्रस्तुत कर दी गई है जो कि अत्यधिक विलम्बित भी नहीं है । इस तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उनके समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर प्रकरण गुण दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2015 स्थिर रखा जाकर प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर